न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

वईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 372/2021
दायर दिनांक :– 26.07.2021

अनवान

राधाकिशन पिता रामरतन मीणा नि. लुहारीखुर्द तह. जहाजपुर

प्रार्थी...............

बनाम

1. मथुरालाल पिता रामरतन मीणा नि. लुहारीखुर्द तह. जहाजपुर
2. भोजूराम पिता रामरतन मीणा नि. लुहारीखुर्द तह. जहाजपुर
3. रामगोपाल पिता रामरतन मीणा नि. लुहारीखुर्द तह. जहाजपुर
4. पींटू पिता उदयसिंह मीणा नि. लुहारीखुर्द तह. जहाजपुर
5. गीता देवी पत्नि रमेशचन्द्र मीणा नि. नयाखेडा कोटा
6. जगदीश मुत. नाथू खाती नि. लुहारीखुर्द तह. जहाजपुर
7. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण...............

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए.** ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट प्रार्थी

:: **आदेश** :: दिनांक 04.04.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लुहारीखुर्द प. ह. लुहारीकलां तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 19/14 रकवा 03.00 बीघा, आ.न. 17/10 रकबा 10.00 बीघा, आ.न. 17/14 रकवा 06.00 बीघा, आ.न. 18/2 रकवा 02.15 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी स्थित है। ग्राम लुहारीखुर्द प. ह. लुहारीकलां तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 1465/19 रकबा 97.04 बीघा एवं आ.न. 1447/18 रकबा 01.00 बीघा कृषि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। एवं आ. न. 6/1 रकबा 4.15 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 6 के खाते में दर्ज है एवं 17/22 रकबा 5.00 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 5 के खाते में दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात पर प्रार्थी अपने हक व हिस्सा पर काविज काश्त है। तथा प्रार्थी अपने हक व हिस्से एवं खातेदारी भूमि में ग्राम लुहारीखुर्द से बासनी जाने आने वाले रास्ते से जिस पर ग्राम पंचायत लुहारीकलां ने नरेगा कार्यक्रम के तहत ग्रेवल डाल कर सडक बना रखी है, उसमें होकर प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि आराजी खसरा सं. 19/14 में नजरी नक्शा में दर्शा रखा ए से बी बिन्दु पर होकर अपनी खातेदारी कृषि जमीन पर आता जाता है एवं ग्राम लुहारीखुर्द से बासनी जाने वाले रास्ते से होकर आराजी नं. 6/1 की उत्तरी मेड व 17/22 की दक्षिणी मेड के मध्य होकर आराजी नं. 1447/18 बिलानाम भूमि में से होकर जो नजरी नक्शा ट्रेस में सी से डी दर्शा रखा है से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी जमीन आराजी खसर सं. 18/2 में आता जाता है व ट्रेक्टर, कृषि उपकरण वगैरा ले जाकर

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

काश्त करता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। परन्तु आराजी नं. 1465/19 बिलानाम भूमि पर नजरी नक्शा ट्रेस में ए से बी भाग पर अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 द्वारा नाजायज कब्जा कर रास्ता को अवरूद्व कर दिया व आराजी सं. 6/1 व 17/22 के खातेदार अप्रार्थी सं. 4 व 5 द्वारा प्रार्थी के आ.न. 18/2 के पश्चिमी दिशा में आने जाने वाले रास्ता में डोल लगाकर रास्ता को अवरूद्ध कर दिया है इसलिये प्रार्थी ग्राम लुहारीखुर्द से बासनी गांव जाने वाली सडक से होकर आ.न. 1465/19 बिलानाम भूमि में ए से बी भाग जो 25 फीट चौडा रास्ता को नजरी नक्शा में सी से डी दर्शा रखा है 25 फीट चौडा रास्ता को नक्शा ट्रेस में तरमीन करवा रास्ता खुलासा करवाना चाहता है तथा ऐसा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को वर्षो पूर्व चले आ रहे रास्ता को बन्द करने से मना किया तो मरने मारने एवं लडाई झगडा करने पर आमादा हुये। यदि उक्त रास्ता को खुलासा नही करते है तो प्रार्थी अपने खाते की जमीन पर आ जा नही पायेगे, न ही कृषि कार्य पायेगे व न ही कृषि यंत्र ले जा सकेगे। इसलिये प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात में जाने आने हेतु नजरी नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शा रखा ए से बी व सी से डी भाग 25 फीट चौडा रास्ता को राजस्व रेकार्ड नक्शा लट्ठा सीट में तरमीन करवा, रास्ता किस्म दर्ज करवा रास्ता को खुलासा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। तथा प्रार्थी रास्ता में उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिफल राशि देने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु ग्राम लुहारीखुर्द से बासनी जाने वाली सडक से होकर आ.न. 1465/19 बिलानाम जो ए से बी भू भाग एवं प्रार्थी के खाते की आ.न. 18/2 में आने जाने हेतु आ.न. 6/1, 17/22 के मध्य रोड में से होकर आ.न. 1447/18 में से होकर जो नजरी नक्शा ट्रेस में सी से डी भाग जो 25 फीट चौडा रास्ता उक्त रास्ता को राजस्व लटठा सीट में तरमीन कर रास्ता को खुलासा कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की आराजी न. 19/14, 17/10, 17/14, 18/2 में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 03.01.2022 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये खसरा नं. 1465/19, 6/1, 1447/18, 1437/6 में से रास्ता देने पर 0.1512 हैक्टेयर, 0.0216 हैक्टेयर, 0.0108 हैक्टेयर, 0.0216 हैक्टेयर कुल 0.2052 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया की प्रार्थी की जोत आ.न. 19/14, 17/10, 17/14, 18/2 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी की जोत तक पहुँचने हेतु लघुत्तम रास्ता आ.न. 1465/19, 6/1, 1447/18, 1437/6 से होकर ही गुजरता है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ.न. 19/14, 17/10, 17/14, 18/2 में आने जाने हेतु ख. न. 1465/19, 6/1, 1447/18, 1437/6 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी के आ.न. 19/14, 17/10, 17/14, 18/2 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। और प्रार्थी की आ.न. 19/14, 17/10, 17/14, 18/2 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के आराजी सं. 1465/19, 6/1, 1447/18, 1437/6 में आवागमन किया जा सकता है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की आ.न. 19/14, 17/10, 17/14, 18/2 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम लुहारीखुर्द प. ह. लुहारीकलां तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 19/14, 17/10, 17/14, 18/2 में आने जाने के लिये आ. न. 1465/19, 6/1, 1447/18, 1437/6 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 1465/19 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, 6/1 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आ.न. 1447/18 रकबा 0. 0108 हैक्टेयर, आ.न. 1437/6 रकबा 0.0216 हैक्टेयर में से रास्ता देने पर कुल 0.2052 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 6/1 में अप्रार्थीगण को रास्ते से प्रभावित रकबा रकबा 0.0216 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 8822 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी अप्रार्थीगण (आ. न. 6/1 के खातेदार) को जमा/अदा करेंगे। तथा आ.न. 1465/19, 1447/18, 1437/6 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0.1512 हैक्टेयर, रकबा 0.0108 हैक्टेयर, रकबा 0.0216 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.1836 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर के दुगुने के हिसाब से 74976 रू. का प्रतिकर देय है, जो प्रार्थी राजकोष मे जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner